Heat Wave Action Plan 2025

District - Jodhpur

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर आपदा प्रबंधन एवं सहायता, जोधपुर

क्रमांक : सहायता/2025/161 दिनांक : 03/04/2025

प्रेषितः—

संयुक्त शासन सचिव,
आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग,
जयपुर (राज.)

विषयः— राज्य में हीट वेव प्रबंधन के लिए नोडल हीट अधिकारी नामित किये जाने हेतु।

प्रसंगः— आपका पत्र क्रमांक एफ.1(2)आ0प्र0एवंसहा0/लू—ताप/2025 दिनांक 28.03.2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा हीट वेव प्रबंधन—2025 के लिए जिला स्तर से (एडीएम स्तरीय) नोडल अधिकारी के संबंध में चाही गई सूचना निर्धारित प्रारूप में तैयार कर निम्नानुसार सादर प्रेषित हैः—

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद नाम	मो0 नं0	टेलिफोन (कार्यालय)	ई—मेल
1.	सुरेन्द्र सिंह पुरोहित	प्रभारी अधिकारी, आपदा प्रबंधन एवं सहायता, अतिरिक्त जिला कलक्टर (भू.रू.), जोधपुर	98296—87999	0291-2650350	cd.jod.rj@nic.in famine.jodhpur@gmail.com

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
प्रभारी अधिकारी,
आपदा प्रबंधन एवं सहायता,
अपर जिला कलक्टर, जोधपुर

Document certified by SURENDRA SINGH PUROHIT <ADM2-jod-rj@nic.in>.

Digitally Signed by Surendra Singh Purohit
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date :03-04-2025 04:43:59

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर आपदा प्रबंधन एवं सहायता, जोधपुर

क्रमांक : सहायता / 2025 / दिनांक : / 04 / 2025

प्रेषितः–

1. **उपखण्ड अधिकारी,** जोधपुर–उत्तर / जोधपुर–दक्षिण / लूणी / बिलाड़ा / भोपालगढ़ / पीपाड़शहर / बावड़ी / ओसियां / शेरगढ़ / बालेसर
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त
3. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, जोधपुर

विषयः– भीषण गर्मी के मद्देनजर लू–ताप से बचाव एवं शमन के लिए जारी एडवायजरी की पालना एवं आमजन में व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भीषण गर्मी के मद्देनजर लू–ताप से बचाव एवं शमन के लिए जारी एडवायजरी आमजन में व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु इस पत्र के संलग्न आपको प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः– उक्तानुसार।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
प्रभारी अधिकारी,
आपदा प्रबंधन एवं सहायता,
अपर जिला कलक्टर, जोधपुर

क्रमांक : सहायता / 2025 / दिनांक : / 04 / 2025

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जोधपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि जोधपुर जिले के अधीनस्थ समस्त पंचायत समितियों एवं विकास अधिकारियों को उक्त के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कराने का श्रम करावें।

गर्मी/ताप–घात में क्या करें और क्या ना करें

क्या करें (Do's)

सभी के लिये

- रेडियो सुने/टी वी देखे/स्थानीय मौसम की जानकारी के लिये समाचार पत्र पढ़े या संबंधित मोबाईल ऐप डाउनलोड करें।
- पर्याप्त पानी पिये – अपने आपको हाइड्रेटेड रखने के लिये ओआरएस (ओरल रिहाईड्रेशन सॉल्यूसन), घर के बने पेय जैसे लस्सी, निंबू का पानी, छाछ आदि का सेवन करें।
- हल्के रंग के ढ़ीले, सूती कपड़े पहने।
- यदि कहीं बाहर है तो अपना सिर ढ़के – कपड़े, टोपी या छत्तरी का उपयोग करें। आंखों की सुरक्षा के लिये धूप के चश्में का प्रयोग करें और त्वचा की सुरक्षा के लिये सनस्क्रीन लगाये।
- प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षण ले।

नियोक्ता और श्रमिक

- कार्य स्थल पर ठंडे पेयजल का प्रबंध करें।
- सभी श्रमिकों के लिए आराम के लिए छाया, साफ पानी, छाछ, आईस–पैक के साथ प्राथमिक चिकित्सा किट और ओआरएस (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूसन) का प्रबंध करे।
- श्रमिकों के लिए सीधी धूप से बचने के लिए कहें।
- श्रमसाध्य कार्यों को दिन के कम ताप वाले समय में ही करें।
- बाहरी गतिविधियों के दौरान विश्राम करने की आवृति और समय सीमा बढ़ाये।
- श्रमिकों को लू से संबंधित चेतावनी के बारे में सूचित करें।
- जिन श्रमिकों के लिये गर्मी वाले क्षेत्र नये हो, उन्हें हल्का काम और कम घंटो का काम दें।

अन्य सावधानियां

- बंद वाहन में बच्चों या पालतू जानवरों को कभी अकेला ना छोड़ें।
- पंखे और नम कपड़ों का प्रयोग करें, ठंडे पानी में स्नान करें।
- सार्वजनिक परिवहन और कार – कूलिंग का उपयोग करें। यह भूमण्डलीय उष्मीकरण और गर्मी को कम करने में मदद करेगा।
- पेड़ लगाये। सूची पतियों, कृषि अवशेषों और कचरे को न जलाएं।
- जल स्त्रोतों का संरक्षण करें। वर्षा के जल को संचयित करें।
- अगर आपको चक्कर आ रहे है या आप अस्वस्थ महसूस कर रहें है तो तुरंत डाक्टर के पास जाये या किसी को तुरंत डाक्टर के पास जाने के लिए कहें।

नया घर बनाते समय

- नियमित दीवारों की बजाय कैविटी तकनीक का उपयोग करें।
- चौड़ी दीवारें बनवाऐं। वे घर को ठंडा रखती है।
- जालीदार दीवारें और लोब वाले उद्‌घाटनों का निर्माण करें। वे अधिकतम वायु–प्रवाह कर गर्मी को अवरूद्ध करते है।
- दीवारों को रंगने के लिये प्राकृतिक सामग्री जैसे चूने या मिट्‌टी का उपयोग करें।
- यदि संभव हो तो कांच के इस्तेमाल से बचे।
- निर्माण करने से पहले बिल्डिंग टेक्नोलाजी विशेषज्ञ से सलाह ले।

मवेशी के लिए

- पशुओं को छाया में रखें और उन्हें पीने के लिये पर्याप्त, स्वच्छ और ठंडा पानी दें।
- उनसे सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच काम न ले।
- शेड की छत को पुआल से ढ़क दें, तापमान कम करने के लिये इसे सफेद रंग/चूने से रंग दे या गोबर से लीप दें।
- लेड में पंखे, वाटर स्प्रे और फार्मस का प्रयोग करें।
- अत्यधिक गर्मी के दौरान पानी का छिड़काव करें और मवेशियों को ठंडा करने के लिये एक जल निकाय पर ले जाएं।
- उन्हें हरी घास, प्रोटीन, वसा, बाईपास पूरक, खनिज मिश्रण और नमक दें। कम गर्मी वाले घंटों के दौरान उन्हें चरने दें।

क्या न करें (Don't Do's)

- धूप में बाहर जाने से बचे, खासकर दोपहर 12 और 3 बजे के बीच।
- दोपहर में बाहर भारी कामों से बचे।
- नंगे पांव बाहर न जायें।
- दिन के सबसे गर्म समय के दौरान खाना पकाने से बचे। खाना पकाने वाले हिस्से को हवादार बनाएं रखने के लिये दरवाजें और खिड़कियां खुली रखें।
- शराब, चाय, कॉफी और कार्बोनेटेड शीतल पेय से बचें। वे शरीर को निर्जलित करते है।
- अधिक प्रोटीन वाले भोजन से बचें। बासा भोजन ना करें।
- पार्क किये गये वाहनों में बच्चों या पालतू जानवरों को न छोड़े, वे गर्म हवा से प्रभावित हो सकते है।
- ऐसे बल्बों का उपयोग करने से बचें जो अनावश्यक गर्मी उत्पन्न करते है, ठीक वैसे ही जैसे कि लगातार चलते हुये कम्प्यूटर या बिजली के उपकरण।

लू से प्रभावित व्यक्ति के उपचार के लिये टिप्स :–

- तापमान को कम करने के लिये पीड़ित के सिर पर गीले कपड़े का उपयोग करे/पानी डालें।
- व्यक्ति को ओआरएस/नींबू, शरबत या जो कुछ भी शरीर को पुनः सक्रिय करने के लिये उपयोगी हों, पीने के लिये दे।
- व्यक्ति को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र ले जाये।

Document certified by SURENDRA SINGH PUROHIT <ADM2-jod-rj@nic.in>.

Digitally Signed by Surendra Singh Purohit
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date :09-04-2025 10:33:23

RajKaj Ref No.: 14685155

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर आपदा प्रबंधन एवं सहायता, जोधपुर

क्रमांक : सहायता / 2025 / दिनांक : / 04 / 2025

प्रेषितः—

1. उपायुक्त, जोधपुर नगर निगम—उत्तर / दक्षिण, जोधपुर
2. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3. **उपखण्ड अधिकारी,** जोधपुर—उत्तर / जोधपुर—दक्षिण / लूणी / बिलाड़ा / भोपालगढ़ / पीपाड़शहर / बावड़ी / ओसियां / शेरगढ़ / बालेसर
4. अधीक्षण अभियंता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, शहर / जिला वृत / डिस्कॉम, जोधपुर
5. अधीक्षण अभियंता, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जोधपुर
6. अधीक्षण अभियंता, जन स्वा. अभि. विभाग, वृत जोधपुर (ग्रामीण / शहर)
7. प्राचार्य, डॉ. सम्पूर्णानंद मेडिकल कॉलेज, जोधपुर / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर
8. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर
9. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर / जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक / माध्यमिक, जोधपुर
10. उप निदेशक, पर्यटन विभाग / पशुपालन विभाग / कृषि विभाग, जोधपुर
11. संयुक्त श्रम आयुक्त, जोधपुर / संयुक्त निदेशक, मौसम विभाग, जोधपुर
12. उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा विभाग, जोधपुर / जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, जोधपुर
13. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त

विषयः— भीषण गर्मी के मद्देनजर लू—ताप से बचाव एवं शमन के क्रम में आवश्यक व्यवस्थाऐं एवं प्रबंधन बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भीषण गर्मी के मद्देनजर लू—ताप से आमजन के बचाव एवं शमन के लिए निम्नानुसार व्यवस्थाऐं एवं आवश्यक प्रबंधन हेतु निर्देशित किया जाता हैः—

1. उपखण्ड स्तर

- जिले के अधीनस्थ समस्त उपखण्ड अधिकारियों को अपने—अपने क्षेत्राधिकार में उक्त विषयान्तर्गत सम्पूर्ण व्यवस्थाओं एवं प्रबंधन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।
- राज्य स्तर से प्राप्त हीट वेव एक्शन प्लान एवं इस जिले द्वारा हीट वेव से संबंधित एडवायजरी ''**ताप लहर में क्या करें या क्या न करें**'' का व्यापक प्रचार—प्रसार किया जाना सुनिश्चित करावें।

2. शिक्षा विभाग

- हीट वेव से बचने के लिये जारी एडवाईजरी की पालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।
- आवश्यकतानुसार एवं निर्देशानुसार विद्यालयों के समय परिवर्तन से संबंधित कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें।
- हीटवेव से बचाव हेतु जारी किये गये निर्देशों की अक्षरशः पालना करने के लिए एवं विद्यार्थियों, अभिभावकों, एसएमसी / एसडीएमसी सदस्यों को जागरूक करना सुनिश्चित करावें।

3. चिकित्सा विभाग

Signature valid
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2025.04.08 20:20:46 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14685157

- हीट वेव से संबंधित आने वाले समस्त केस में जिला स्तर पर रिपोर्टिंग करने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को 24x7 कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश प्रदान किये जाते है। कन्ट्रोल रूप स्थापित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराना सुनिश्चित करावें।
- **रेपिड रेस्पोंस टीम**– महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर, मथुरादास माथुर अस्पताल, जोधपुर एवं जिले के समस्त सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर रेपीड रेस्पोंस टीम का गठन कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराना सुनिश्चित करावें।
- हीट वेव एवं अन्य विपरीत जलवायु परिवर्तन से आमजन के बचाव हेतु जिला स्तर व ब्लॉक स्तर पर पर्याप्त मात्रा में ऐम्बूलेंस व्यवस्था करना सुनिश्चित करावें।
- जिला एवं समस्त ब्लॉक स्तर पर चिकित्सा विभाग की टीमों को हॉस्पिटल/डिस्पेंसरी में एंव डेडिकेटेड वार्ड आरक्षित रखने हेतु एवं पर्याप्त मात्रा में दवाईयां, ओआरएस घोल के साथ–साथ गर्मी एवं लू से बचाव हेतु मरीज के लिए अलग से चिकित्सा वार्ड (जिसमें पंखे, कूलर की व्यवस्था हो) तैयार करने हेतु निर्देशित किया जावे।
- हीट वेव एवं अन्य विपरीत जलवायु परिवर्तन से आमजन के बचाव हेतु पीएचसी/सीएचसी के नर्सिंग स्टॉफ इत्यादि को प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित करावें।
- हीट वेव से बचाव व उपचार के लिये समस्त आंगनवाड़ी व ग्राम पंचायतों में नियुक्त आशा सहयोगिनियों एवं नर्सिंग स्टॉफ को प्रशिक्षित किया जाना सुनिश्चित करावें।

4. जिला परिषद्

- पंचायतराज में नरेगा श्रमिकों के लिए परिस्थितियों के अनुसार छाया, पानी, समय एवं चिकित्सा की सुविधा सुनिश्चित कर ली गई है एवं उनका पूर्ण रूपेण सुपरविजन किया जावे। साथ ही नरेगा का समय भी आवश्यकतानुसार सुबह जल्दी करने के निर्देश प्रदान किये गये है। प्रत्येक नरेगा साईट पर एक मेडिकल किट (हीट वेव के प्राथमिक उपचार से संबंधित) उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करावें।
- हीट वेव से बचाव व उपचार के लिये समस्त आंगनवाड़ी व ग्राम पंचायतो में नियुक्त आशा सहयोगिनियों एवं नर्सिंग स्टॉफ को प्रशिक्षित किया जाना सुनिश्चित करावें।
- जिले के समस्त विकास अधिकारियों को हीट वेव–2025 के संदर्भ में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

5. विद्युत विभाग

विद्युत विभाग को विद्युत की निरंतर सप्लाई एवं कटौती हेतु निर्देशित किया जाता है।

6. जन स्वा. अभि. विभाग

पीने के पानी की समुचित व्यवस्था/हीट वेव की स्थिति में पानी के छिड़काव/सुचारू पेयजल व्यवस्था हेतु निजी टैंकरों से पेयजल परिवहन हेतु निर्देशित किया जाता है।

7. श्रम विभाग

जिले के स्वयं सेवी संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों और उद्योगपत्तियों को संस्थानों/निर्माण स्थलों व चौखटियों पर हीट वेव से बचने हेतु होर्डिंग्स लगा कर जागरूक करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

8. कृषि विभाग

Signature valid

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2025.04.08 20:20:46 IST
Reason: Approved

- ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के आयोजन में भाग लेने वाले कृषकों को जारी एडवायजरी के लिए जागरूक किया जाना तथा समस्त कृषकों में सोशल मीडिया के माध्यम से जारी एडवायजरी का प्रचार–प्रसार किया जाना सुनिश्चित करावें।

9. पशुपालन विभाग

- पशुओं पर गर्मी के प्रभाव के मद्देनजर आपके विभाग से संबंधित एक्शन प्लान तैयार कर एडवायजरी जारी कर व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना सुनिश्चित करावें।

10. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

- जिला स्तर से जारी एडवायजरी का व्यापक स्तर पर प्रचार–प्रसार करते हुए दैनिक समाचार पत्रों में आमजन की जागरूकता हेतु प्रेष नोट जारी करावें।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
प्रभारी अधिकारी,
आपदा प्रबंधन एवं सहायता,
अपर जिला कलक्टर, जोधपुर

क्रमांक : सहायता/2025/ दिनांक : /04/2025

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जोधपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि जोधपुर जिले के अधीनस्थ समस्त पंचायत समितियों एवं विकास अधिकारियों को उक्त के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कराने का श्रम करावें।
2. आयुक्त, जोधपुर नगर निगम–उत्तर/दक्षिण, जोधपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त विषयान्तर्गत समस्त कार्यवाहियों के सुचारू व्यवस्थाओं एवं प्रबंधन हेतु 24X7 कण्ट्रोल रूम की स्थापना एवं नोडल अधिकारी नियुक्त कराने का श्रम करावें।

Signature valid

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2025.04.08 20:20:46 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर आपदा प्रबंधन एवं सहायता, जोधपुर

क्रमांक : सहायता / 2025 / 208 दिनांक : 16 / 04 / 2025

प्रेषितः–

जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी,
जोधपुर।

विषयः– हीटवेव–2025 से बचाव व राहत हेतु आमजन में एडवाईजरी के प्रचार–प्रसार हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत तापमान में निरन्तर वृद्धि तथा हीटवेव से आमजन को बचाव एवं राहत हेतु जारी एडवायजरी **"क्या करें और क्या न करें"** का प्रचार–प्रसार अतिआवश्यक है। अतः इस पत्र के संलग्न संदर्भित एडवायजरी (संलग्न–1) का सोशल मीडिया पर प्रचार–प्रसार तथा प्रेसनोट (संलग्न–2) का स्थानीय / जिला स्तर के समाचार पत्रों में प्रकाशन कराना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः– उक्तानुसार।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
प्रभारी अधिकारी,
आपदा प्रबंधन एवं सहायता,
अपर जिला कलक्टर, जोधपुर

Signature valid
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2025.04.16 15:49:38 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर आपदा प्रबंधन एवं सहायता, जोधपुर

क्रमांक : सहायता / 2025 / 209 दिनांक : 16 / 04 / 2025

प्रेस नोट

जिले में वर्तमान में तापमान में निरंतर वृद्धि होने तथा लू / हीटवेव के आगे भी निरंतर बने रहने की संभावना के मद्देनजर आमजन से अपील की जाती है कि जब तक अत्यधिक आवश्यक ना हो, विशेषकर दोपहर के समय घर से बाहर ना निकले, बाहर निकलते समय तरल पदार्थों यथा ओरआरएस, लस्सी, छाछ, नींबू पानी आदि का सेवन करके निकले तथा यथा संभव बाहर निकलते समय पानी एवं पेय पदार्थ साथ में रखें। हल्के एवं सूती कपड़े पहने, धूप में शरीर को अत्यधिक ढ़क कर रखें, छतरी, धूप के चश्में का प्रयोग करें। चिकित्सकीय सहायता हेतु जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 0291—2511085 पर संपर्क करें।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
प्रभारी अधिकारी,
आपदा प्रबंधन एवं सहायता,
अपर जिला कलक्टर, जोधपुर

Signature valid

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2025.04.16 13:49:38 IST
Reason: Approved

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर (शहर)

HEAT ACTION PLAN 2025

नोडल अधिकारी जोधपुर शहरः– डा0 महेन्द्र कच्छावा मो.न. 9529684062
उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा0), जोधपुर शहर।

जिला स्तर पर	1. जिला स्तरीय अंतरविभागीय समिति का गठन। 2. जिला स्तरीय रेपिड रेस्पोन्स टीम का गठन। 3. जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना। 0291–2511085 4. स्थानीय मौसम विभाग से सम्पर्क बनाए रखना तथा लू तापघात हेतु समय–समय पर जारी होने वाले अलर्ट को खण्ड/ चिकित्सा संस्थानो को अवगत कराना। 5. चिकित्सा अधिकारियों को सलंग्न Preventation And Management of Heat WaveAnnexure:3के अनुसार लू तापघात के उपचार हेतु निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार माह अप्रैल के प्रथम सप्ताह में प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। 6. Preventation And Management of Heat WaveAnnexure:4 के अनुसार लू तापघात के दौरान **Do's and Dont's** के बारे में विभिन्न आई.ई.ई.सी.माध्यमों से आमजन को जानकारी देना। 7. जिला स्तर से लू तापघात सबंधी आई.ई.सी. सामग्री मुद्रित कर जोन/सा0स्वा0 के0/प्रा0स्वा0के0/आयु.आरो.मंदिर/उप स्वा0 केन्द्र पर भिजवाना।
जोन स्तर पर	1. जोन स्तरीय रेपिड रेस्पोन्स टीम का गठन। 2. अधीन चिकित्सा संस्थानों की प्रभावी मोनिटरिंग। 3. नर्सिंगकर्मी तथा प्रसाविका को सलंग्न Preventation And Management of Heat Wave Annexure:2के अनुसार लू तापघात सबंधी रोगों के लक्षण चिंह तथा निदान के बारे में माह अप्रैल के प्रथम सप्ताह में प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। 4. Preventation And Management of Heat WaveAnnexure:4 के अनुसार लू तापघात के दौरान **Do's and Dont's** के बारे में विभिन्न आई.ई.ई.सी. माध्यमों से आमजन को जानकारी देना।
श.सा.स्वा.के./श.प्रा.स्वा.के. स्तर पर	1. चिकित्सा संस्थान में कार्यरत सभी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी लू तापघात के लक्षण, बचाव व उपचार से प्रशिक्षित किया जाना सुनिश्चित करें। 2. चिकित्सा संस्थान में एक वार्ड में दो–चार बेड लू तापघात के रोगियों हेतु आरक्षित रखा जावें। 3. वार्ड का वातावरण कूलर व पंखे से ठंडे रखा जावे एवं उनमें उपचार हेतु आवश्यकता होने पर बर्फ खरीद कर आवश्यक उपचार किया जावें। 4. संस्थान में रोगी के उपचार हेतु आपातकालीन किट में ओ.आर.एस.,जी.एन.एस. /जीडीडब्लू /आर.एल. फ्लूड तथा आवश्यक जीवन रक्षक औषधियां तैयार रखें। 5. Preventation And Management of Heat WaveAnnexure:4 के अनुसार लू तापघात के दौरान **Do's and Dont's** के बारे में विभिन्न आई.ई.सी. माध्यमों से आमजन को जानकारी देना।

सलंग्नः–**Preventation And Management of Heat Wave Annexure:2, 3 & 4**.

Preventation And Management

HEAT WAVE

BEFORE

- Install temporary window reflectors such as aluminum foil-covered cardboard so as to reflect heat back outside .This will help keep the rooms pleasant.
- Cover windows that receive morning or afternoon sun with drapes, shades.
- Listen to local weather forecasts and stay aware of temperature changes.
- Know those in your neighborhood who are elderly, young, sick or overweight. They are more likely to become victims of excessive heat and may need help.
- Get trained in first aid to learn how to treat heat-related emergencies.
- Plant trees for shades.

DURING

- Never leave children or pets alone in closed vehicles or under direct sunlight for long.
- Stay indoors as much as possible and limit your exposure to the sun.
- Stay on the lowest floor out of the sunshine if air conditioning is not available.
- Eat well balanced, light and regular meals.
- Drink plenty of water; even if you do not feel thirsty. Keep yourself hydrated.
- Persons with epilepsy, heart, kidney, or liver disease; on fluid – restricted diets; or have a problem with fluid retention should consult a doctor before increasing liquid intake.
- Protect face and heat by wearing a hat or cloth.

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, जन.स्वा.अभि.विभाग, जिलावृत जोधपुर
भैरूजी चौराहा, पाली रोड जोधपुर
ईमेलः- sephedjdp1@gmail.com दूरभाष 0291-2751740, फैक्स नं.:- 0291-02751740

क्रमांकः—एसईडी / जो / पेयजल परिवहन / 2024—25 / दिनांकः—

अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वा. अभि.विभाग
जिला खण्ड प्रथम / द्वितीय / तृतीय जोधपुर
बालेसर

विषय : — ग्रीष्म ऋतु 2025 के पेयजल परिवहन के लिए जोधपुर ग्रामीण खण्डवार बजट निर्धारण।

सदर्भ :— 1. अतिरिक्त मुख्य सचिव जन स्वा अभि विभाग जयपुर के राजकाज रेफरेन्स नं. 13485310 दिनांक 09.03.25
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रा) जन स्वा अभि विभाग जयपुर के राजकाज रेफरेन्स नं. 14406736 दिनांक 26.03.25
3. जिला स्तरीय कमेटी की बैठक द्वारा दर अनुमोदन पत्रांक 7051 दिनांक 28.3.25

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि वर्ष 2025 ग्रीष्म ऋतु के लिए जिला जोधपुर ग्रामीण के अधीन विभिन्न खण्डो को निम्नानुसार वित्तीय सीमा आंवटित की जाती है :—

क्रस	खण्ड का नाम	आंवटित की गई वित्तीय सीमा (लाखो में)
1	जिला खण्ड प्रथम जोधपुर	200.00
2	जिला खण्ड द्वितीय जोधपुर	619.00
3	जिला खण्ड तृतीय जोधपुर	24.00
4	जिला खण्ड बालेसर	273.47
	कुल	**1116.47**

समस्त अधिशाषी अभियन्ता अपने अधीन तहसीलो की मांगनुसार दिये गये बजट का उपयोग करेगे। संबधित अधिशाषी अभियन्ता किये गये कार्यो की प्रगति प्रत्येक सोमवार को इस कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करेगें। किसी भी स्थिति में दिये गये वित्तीय सीमा से अधिक का कार्य एवं भुगतान नही किया जाएगा। सम्बंधित तहसीलों के वर्क ऑडर इस पत्र के साथ सलंग्न कर भिजवाये जा रहे है।

(अजय किशन छंगाणी)
अधीक्षण अभियन्ता
जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग
जिलावृत जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ajay Kishan Chhangani
Designation : Superintending Engineer
Date: 2025.04.01 16:11:41 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14522597

Summer Contingency Proposal Details for santion (Dist Jodhpur, Circle Dist Jodhpur)

S.No	Dist.	Div.	Number of Proposal	Sanctioned Cost (in Lacs)	Status of Work Order	Brief of works
1	2	3	4	5	6	7
1	Jodhpur	DD-I Jodhpur	16	173.28	16 work Order issued offline	(1) 06 New Tubewells, (2) 9.15 KM HDPE Pipe Line
2	Jodhpur	DD-II Jodhpur	7	193.84	06 work Order Issued offline	(1) 02 New Tubewells, (2) 3.5 KM HDPE & 0.8 DI Pipe Line (3) 16 Tubewell Commissioning
					Work Order Not Issued	(1) 2 Nos. Replecment of Cetrifugal Pump Set
3	Jodhpur	DD-III Jodhpur	4	194.77	04 work Order Issued offline	(1) Deepening of 30 Tubewells, (2) 35 Submersible pumps (3) Replacment of 8445 mtr cable (4) Replacment of 5718 mtr GI Pipe for Tubewell (5) 3 KM HDPE Pipe Line (6) Replacment of 06 Electric Penal
4	Jodhpur	DD-Balesar	79	238.75	75 work Order Issued offline	(1) Deepening of 71 Tubewells, (2) Replacment of 6865 mtr cable (3) Replacment of 2958 mtr GI Pipe for Tubewell (4) 7.5 KM HDPE Pipe Line (5) Replacment of 05 Electric Penal
					Work Order Not Issued	(1) 08 Cetrifugal Pump sets
			106	**800.64**	**101 work order Issued**	

Progress Report of Sanctioned Work of Collector Contingency in Summer 2025

S.No	Dist.	Div.	Name of Proposal	Sanctioned Cost (in Lacs)	Status of Work Order	Brief of works
1	2	3	4	6	7	
1	Jodhpur	DD-I Jodhpur	PROPOSAL FOR REPLACEMENT OF SUBMERSIBLE PUMP SET UNDER DISTRICT DIVISION-I JODHPUR (SUMMER CONTINGENCY 2025)	14.49	Work Order Issued offline	(1) 11 Submercible Pumps
2	Jodhpur	DD-II Jodhpur	Replacement of Pump Machinery Under DD2	3.14	-	(1) 01 Cetrifugal pumps (2) 132 mtr cable (3) 02 Electric Penal
3	Jodhpur	DD-II Jodhpur	Replacement of Polluted Pipe line Under Sub Dn. Mandore	7.07	work Order Issued offline	(1) 1.1 KM HDPE Pipe Line
4	Jodhpur	DD-II Jodhpur	Commissioning of Hand Pump in various villages Under Sub Dn. Mandore	2.29	work Order Issued offline	(1) 04 Handpump Commissioning
5	Jodhpur	DD-III Jodhpur	Proposal for ensuring functionality by restoration work of Janta Jal Yojna tubewells PHED Sub Dn Tinwari under Contingency plan District Jodhpur	3.04	work Order Issued offline	(1) 01 Submersible pumps (2) Replacment of 356 mtr cable
6	Jodhpur	DD-III Jodhpur	Proposal for ensuring functionality by restoration work of Janta Jal Yojna tubewells PHED Sub Dn Osian under Contingency plan District Jodhpur	2.46	work Order Issued offline	(1) 01 Submersible pumps
7	Jodhpur	DD-III Jodhpur	Proposal for ensuring functionality by restoration work of Janta Jal Yojna tubewells PHED Sub Dn Baori under Contingency plan District Jodhpur	5.00	work Order Issued offline	(1) 02 Submersible pumps (2) Replacment of 500 mtr cable
8	Jodhpur	DD-Balear	Proposal Of Replacement of Submersible/ Mono Block Pump Set District Division Balesar (Summer Contingency 2025)	12.5	-	(1) 12 Centrifugal pumps (2) 02 Submercible Pumps
				49.99		

राजस्थान सरकार
कार्यालय सयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग जोधपुर (राज)

कमांकः(1–4)सनि/पपा/लू–प्रकोप/25–26/4149 दिनांकः– 09-04-2025

कार्यालय–आदेश

जिले में लू–प्रकोप/ अतिवृष्टि की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला स्तरीय लू–प्रकोप नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाकर निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है ।

जिला स्तरीय लू–प्रकोप नियंत्रण कक्ष : कार्यालय उप निदेशक, बहुउद्देशीय पशु– चिकित्सालय, जोधपुर के अधीन "जिला स्तरीय लू–प्रकोप नियंत्रण कक्ष" दिनांक 10–04–2025 से स्थापित किया जाता है जो 24 घंटे निरंतर कार्यरत रहेगा । डा. आनन्दराज पुरोहित , उप निदेशक बहुरोगी पशु चिकित्सालय जोधपुर नियंत्रण कक्ष के प्रभारी अधिकारी होगें । नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 0291–2513938 है । नियंत्रण कक्ष प्रभारी दूरभाष पर लू–प्रकोप / अतिवृष्टि संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होते ही सयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग जोधपुर को तुरन्त सूचित करेगें ।

जिले में अधिनस्थ विभागीय नोडल संस्थाओं के प्रभारी को क्षेत्र के लिये निम्नानुसार "नोडल अधिकारी" मनोनित किया गया है, जो अपने क्षेत्र के लिये उपरोक्त कार्य के लिये उत्तरदायी होंगे तथा स्थानीय प्रशासन से नियमित समन्वय स्थापित रखते हुये लू–प्रकोप क्षेत्रों में पशुधन संरक्षण हेतु आवश्यक कार्यवाही संपादित करेंगे।

क.स.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	पद	पदस्थापन स्थान	नोडल क्षेत्र	मोबाईल नम्बर
1	डा. दीपक कुमार शर्मा	SVO	प्र.श्रे.प.चि. बाप	बाप क्षेत्र	9414967751
2	डा. भागीरथ सोनी	VO	प्र.श्रे.प.चि. फलोदी	फलोदी क्षेत्र	9166369909
3	डा. अनिल कुमार	VO	प.चि. पीलवा	लोहावट क्षेत्र	9414498336
4	डा. ओमप्रकाश विश्नोई	VO	प.चि. मतोडा	बापीनी क्षेत्र	9828845347
5	डा. अजय पंवार	SVO	प्र.श्रे.प.चि. औसिया	औसिया क्षेत्र	9950639234
6	डा. नवलाराम	SVO	प्र.श्रे.प.चि. तिवंरी	तिवंरी क्षेत्र	9784123968
7	डा. धर्मेन्द्र चौधरी	SVO	प.चि. धनारी	बावडी क्षेत्र	9001130777
8	डा. निलगिरी तिवांडी	SVO	प.चि. केरू	मण्डोर द्वितीय	9461470661
9	डा. राजकुमार माथुर	SVO	प्र.श्रे.प.चि. लूणी	लूणी क्षेत्र	9314294338
10	डा. राकेश शर्मा	VO	प.चि. गजसिहपुरा	भोपालगढ क्षेत्र	7791825027
11	डा. कल्पत मालवीय	VO	प्र.श्रे.प.चि. पीपाड	पीपाड क्षेत्र	7737636259
12	डा. रेवतराम	VO	प्र.श्रे.प.चि.खेजडला	बिलाडा क्षेत्र	9828297872
13	डा. आनन्दराज पुरोहित	DD	बहुरोगी प.चि.जोधपुर	जोधपुर शहर	9413323222
14	श्री मालाराम	VA	प्र.श्रे.प.चि.शेरगढ	शेरगढ क्षेत्र	9414703580
15	डा. कैलाश परिहार	SVO	प्र.श्रे.प.चि. सेखाला	सेखाला क्षेत्र	9887284451
16	डा. दिलीप सिहं	VO	प.चि. बस्तवा	बालेसर क्षेत्र	8890322402
17	डा. राजकुमार सुमन	SVO	प्र.श्रे.प.चि. बनाड	मण्डोर प्रथम	7073828918
18	डा. नरेन्द्र राजपुरोहित	SVO	प्र.श्रे.प.चि. धवा	धवा क्षेत्र	9001742935
19	डा. दिनेश चौधरी	VO	प.चि. मोखेरी	देचू क्षेत्र	9468954743
20	डा. ओमप्रकाश	VO	प.चि. भीयासर	घंन्टीयाली क्षेत्र	9828845347
21	श्री रावलराम दर्जी	LSA	प.चि.उ. गोदेलाई	चामू क्षेत्र	8949644141
22	डा. डालूराम मीणा	VO	प.चि. चाडी	आउ क्षेत्र	7062142178

Signature valid
Digitally signed by Arvind Kumar Panwar
Designation : Joint Director
Date: 2025.04.09 12:24:43 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 14693342

त्वरित कार्यवाही दल : जिला एवं नोडल स्तर पर नोडल अधिकारी अपने स्तर से त्वरित कार्यवाही दल का गठन करते हुए तत्परता से रोग निदान एवं रोग नियंत्रण कार्यवाही करेगें तथा पर्याप्त औषधि, उपकरण, औजार एवम् टीकों की व्यवस्था भी करेगें ।

जिला स्तरीय मोबाईल : जोधपुर जिले में एक पशुधन आरोग्य चल इकाई क्रियाशील है जिनका मुख्यालय जोधपुर है जिसके प्रभारी डा. हनुमानराम सियाग मोबाईल नम्बर 9829113907 है, को निर्देशित किया गया है कि मोबाईल में रस्सा,बेटरी व आवश्यक उपकरण मय औषधि के क्षेत्र में तैनात रहकर किसी प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर तुरन्त कार्यवाही कर प्रशासन व जिला कार्यालय को अवगत करवायेगें।

आपातकालीन स्थिति हेतु :
(अ) लू प्रकोप से संभावित रोगों की रोकथाम हेतु आवश्यक औषधियों एवम् टीकों की पर्याप्त उपलब्धता पशुचिकित्सा संस्था तक समय पर सुनिश्चित कर ली गई है।
(ब) पशुओं के लिये पर्याप्त चारा एवम् पानी की उपलब्धता जिला प्रशासन के माध्यम से करवाई जावे।
(स) बचाव/राहत कार्यों हेतु वाहन चालू हालत में रखे जावें तथा अतिरिक्त वाहनों की आवश्यकता/औचित्यपूर्ण मांग जिला प्रशासन को समय पर प्रस्तुत की जावे।
(द) पशुचिकित्सकों, तकनीकी कर्मचारियों एवम् स्वंयसेवी संस्थाओं की सूची मय सम्पर्क सूत्र, आवासीय पते के संधारित की जावे तथा इसे पाक्षिक आधार पर अद्यतन की जावे।
(य) प्रशासन एवम् स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से पशुओं के लिये सुरक्षित स्थानों का चयन समयपूर्व कर लिया जावे।
(र) लू प्रकोप प्रभावित क्षेत्रों में रोगों की रोकथाम हेतु टीकाकरण एवम् उपचार का कार्य पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर कराया जावे।

टीकाकरण / डीवर्मिंग : लू प्रकोप से संभावित रोगों की रोकथाम हेतु निदेशालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना करते हुये वांछित टीकाकरण समय पर पूर्ण कराया जावे। वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 33 के तहत सभी राष्ट्रीय उधानों एवम् अभयारण्यों की सीमा से 10 कि.मी. की दूरी के सभी गांवों के पशुधन को संक्रामक रोगों से बचाने हेतु आवश्यक टीकाकरण वन विभाग के सहयोग से पूर्ण करावें। डिवर्मिंग कार्य भी समय पर पूर्ण कर लिया जावे ।

गौशाला/पशु शिविरों में पशुधन संरक्षण : क्षेत्र की पंजीकृत गौशालाओं एवम् लू प्रकोप अंतर्गत प्रशासन द्वारा स्वीकृत/संचालित पशु शिविरों का निरीक्षण साप्ताहिक आधार पर निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा आवश्यक रूप से किया जाकर संधारित पशुधन का टीकाकरण एवम् चिकित्सा व्यवस्था गौशाला प्रबन्धन/जिला प्रशासन के सहयोग से सुनिश्चित किया जायेगा । आपातकालीन स्थिति में आवश्यक्तानुसार भ्रमण कर पशुधन संरक्षण सुनिश्चित किया जायेगा ।

पशु निष्क्रमण : लू प्रकोप ग्रस्त क्षेत्रों से पशुओं के निष्क्रमण की स्थिति पर निगरानी रखी जावे तथा निष्क्रमण मार्ग पर आवश्यकतानुसार चेकपोस्ट स्थापित कराते हुये पशु स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराई जायेगी । निष्क्रमण के सम्बन्ध में जिला प्रशासन एवम् निदेशालय को समय-समय पर अवगत कराया जावेगा ।

मृत पशुओं का निस्तारण : आवश्यकता होने पर मृत पशुओं के सुरक्षित एवम् वैज्ञानिक निस्तारण हेतु स्थानीय निकाय यथा नगर निगम/परिषद/पालिका/ग्राम पंचायत को तकनीकी सहयोग दिया जावे।

Signature valid
Digitally signed by Arvind Kumar Panwar
Designation : Joint Director
Date: 2025.04.09 12:24:43 IST
Reason: Approved

प्रगति रिपोर्ट :– लू प्रकोप की स्थिति में विभाग द्वारा सम्पादित पशुधन संरक्षण कार्यो की साप्ताहिक प्रगति सभी नोडल अधिकारी इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि एकजाई सूचना सयुक्त निदेशक पशुरोग नियंत्रण जयपुर को समय पर भिजवाई जा सकें । उक्त स्थिति में पशुओं के बीमार होने अथवा मृत्यु के संबंध में प्रकशित होने वाले समाचारों पर त्वरित कार्यवाही कर वस्तु स्थिति की रिपोर्ट भी नोडल अधिकारी इस कार्यालय को भिजवायेगें ।

बाढ सहिता :– आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग की वेबसाईट dmrelief.rajasthan.gov.in पर बाढ सहिता (Flood Mannual) की प्रति उपलब्ध है जिसमें बाढ एवं अतिवृष्टि के समय विभिन्न विभागों द्वारा की जानेवाली कार्यवाही के विस्तृत दिशा निर्देश उपलब्ध है अतः इसका अवलोकन कर वांछित कार्यवाही की जावें ।

समन्वय : रोग प्रकोप की स्थिति में पशुधन हानि को रोकने एवम् पशुपालकों को तत्परता से राहत पहुंचाने हेतु स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संस्थाओं एवम् जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करते हुये पशुधन संरक्षण गतिविधियां तत्परता से संचालित किया जायेगा । आपात स्थिति में जिला प्रशासन एवम् निदेशालय से निरन्तर सम्पर्क रखा जायेगा ।

नोट : लू प्रकोप की स्थिति में अवकाश पर प्रतिबंध रहेगा तथा कोई भी अधिकारी/कर्मचारी बिना पूर्व सक्षम स्वीकृति के मुख्यालय नहीं छोडेंगे।

(डॉ. अरविन्द कुमार पंवार)
संयुक्त निदेशक
पशुपालन विभाग जोधपुर

कमांक:(1–3)सनि/पपा/ लू प्रकोप /25–26/4150-58
दिनांकः– 09-04-2025

प्रतिलिपि :–

1– निदेशक महोदय, पशुपालन विभाग, जयपुर
2– अपर जिला कलक्टर (तृतीय) एवं सचिव आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जोधपुर ।
3– अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र) पशुपालन विभाग जोधपुर ।
4– संयुक्त निदेशक पशुरोग नियंत्रण पशुपालन विभाग राज. जयपुर ।
5– उप निदेशक बहुउद्वेशिय पशु चिकित्सालय जोधपुर ।
6– उप निदेशक, क्षेत्रीय रोग निदान केन्द्र, जोधपुर।
7– डा. आनन्दराज पुरोहित , उप निदेशक बहुरोगी पशु चिकित्सालय जोधपुर
8– नोडल अधिकारी लूनी / मण्डोर–1 (बनाड) / केरू / बालेसर / शेरगढ / औसिया / फलोदी / बाप / भोपालगढ / बावडी / बिलाडा / पीपाड / सेखाला / देचू / लोहावट / तिवंरी / बापिणी / धवा / चामू / घंटियाली / आऊ को भेजकर लेख है कि आपके भण्डार में उपलब्ध वैक्सीन का तुरन्त वितरण करें तथा लू प्रकोप से पूर्व संबंधित क्षेत्रों में टीकाकरण कार्य सम्पादित करवायेगें तथा जब भी आपात स्थिति की सूचना प्राप्त हो तो संबंधित क्षेत्र में तुरन्त कार्यवाही करते हुए इस कार्यालय व जिला प्रशासन को सूचित करेगें व बिना पूर्व सूचना के मुख्यालय नही छोडोगें ।
9– प्रभारी पशुधन आरोग्य चल इकाई जोधपुर को भेजकर लेख है कि आपात स्थिति की सूचना प्राप्त हो तो संबंधित क्षेत्र में तुरन्त कार्यवाही करते हुए इस कार्यालय व जिला प्रशासन को सूचित करेगें व बिना पूर्व सूचना के मुख्यालय नही छोडोगें व संबंधित क्षेत्र के नोडल अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य सम्पादित करेगें।

संयुक्त निदेशक
पशुपालन विभाग जोधपुर

Signature valid
Digitally signed by Arvind Kumar Panwar
Designation : Joint Director
Date: 2025.04.09 12:24:43 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार

कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग जोधपुर (राज.)

पुलिस लाईन के पास रातानाडा रोड जोधपुर मेल–ddahjodhpur@yahoo.co.in

कमांकः (367–368) तकनीकी / 2025–26 / 4183 दिनांकः– 08–04–2025

पशुओं एवं गौशालाओं में संधारित ग्रीष्म ऋतु एवं लू–प्रकोप से बचाव हेतु एडवाईजरी

वर्तमान में प्रदेश में आगामी माहों में गर्मी तथा ताप–घात का प्रभाव त्रीव होने एवं ग्रीष्म ऋतुकाल एवं संभावित लू–प्रकोप के कारण पशुधन की उत्पादन क्षमता प्रभावित हो सकती है जिस कारण पशुओं एवं गौवंश के बचाव के लिए मूल–भूत आवश्यकताओं की व्यवस्था के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही समयबद्व रूप से करने हेतु पशु पालकों एवं गौशाला प्रबंधकों को जागरूक करना अति–आवश्यक है । ग्रीष्म ऋतु में पशु लू / ताप से सर्वाधिक प्रभावित होते है जिसके कारण डीहाईड्रेशन , हीट स्ट्रोक तथा गर्म स्तह के सम्पर्क में आने से चमडी का जलना , गर्भपात इत्यादी लक्षण पाये जाते है ।

1– पशुओं को धूप एवं ताप/लू ये बचाने के लिए पशु बाडे / गौशाला में पर्याप्त छाया की व्यवस्था करें तथा शैड एवं पशुओं के बाडों के दरवाजे खिडकियों को गर्म हवाओं के प्रकोप से बचाने के लिए तिरपाल अथवा टाट / बोरे से ढके तथा दोपहर के समय पानी की छिडकाव करें । पशुओं को प्रातः 09 बजे से सांय 06 बजे तक छायादार स्थान यथा पेडों के नीचे अथवा पशु बाडों में रखा जावे । भैश वंशीय पशुओं को सांय के समय नहलाना लाभदायक होता है ।

2– पशुओं हेतु प्रर्याप्त मात्रा में चारा , भूसा एवं पशु आहार की व्यवस्था हेतु पशुपालक / गौशाला प्रबंधन द्वारा समुचित व्यवस्था करवाई जावें ।

3– पशुओं हेतु प्रर्याप्त मात्रा में स्वच्छ जल की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे । इस कम में जनस्वास्थ्य अभियात्रिकी विभाग तथा स्थानीय प्रशासन के सहयोग से संचालित गौशालाओं में गौवंश हेतु पीने के स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जावे ।

4– बीमार तथा अशक्त पशुओं हेतु संबंधित पशु चिकित्सा कार्मिकों की देख–रेख में उपचार की व्यवस्था की जावे । ताप–घात में हाफना , पशु का सुस्त होना , मुहँ से लार गिरना , हृदय धड़कन बढना तथा जमीन पर गिर जाना महत्वपूर्ण लक्षण पाये जाते है ।

5– पशु बाडे / गौशालाओं में आगजनी से पशुओं /गौवंश के बचाव के समुचित प्रबंध किये जावे ।

6– मृत पशु / गौवंश के शव का निस्तारण यथा शीघ्र सुरक्षित एवं वैज्ञानिक ढंग से किया जावे जिससे गर्मी के कारण शव का विघटन (पुट्रीफिकेशन) न हो पाये और बीमारी का खतरा उत्पन्न ना हो ।

7– पशुओं में तापघात की स्थिति होने पर तत्काल उन्हे छायादार स्थान पर लेजाकर पूरे शरीर पर पानी डाला जावे तथा सिर पर ठण्डे पानी से भीगा कपडा बारी बारी से रखा जावे एवं यथा शीघ्र पशु चिकित्सक से उपचार कराना चाहिये ।

Signature valid

Digitally signed by Arvind Kumar Panwar
Designation : Joint Director
Date: 2025.04.08 17:43:40 IST
Reason: Approved

निरन्तर...2

RajKaj Ref No.: 14681604

8— भारवाहक पशुओं को यथा संभव प्रातः एवं सांयकाल में ही काम में लिया जावे तथा दोपहर के समय इन्हे आराम दिलाया जावे । भीषण गर्मी की स्थिति में प्रतिदिन दोपहर के समय 12 बजे से 04 बजे के बीच तापमान अधिकतम बना रहता है । इस दौरान जिले में पशुओं पर सामग्री, (भार) रखकर या सवारी का उपयोग करने से अथवा पशुओं को तांगे / बेलगाडी / भैसा गाडी एवं गधे पर वजन ढोने में उपयोग करने से बीमार या मृत्यु भी हो सकती है अतः पशु क्रूरता अधिनियम 1960 **Draught & Pack Animal Rules (PCDPA) 1965 under rule-6** के प्रावधानान्तर्गत जिले में प्रतिदिन दोपहर 12 से 04 बजे के बीच यदि पशुओं की सहायता से चलने वाले साधन जिनसे वजन या सवारी ढोने के कार्य किये जाते है, के उपयोग पर दिनांक 09—04—2025 से प्रभावशील होकर दिनांक 15—07—2025 तक प्रतिबंधित किया जाता है ।

9— पशुओं को चराई के लिए सुबह जल्दी और शाम को देर से भेजना चाहिये ताकि अत्यधिक बढे हुए तापमान से पशुओं को बचाया जा सके ।

10— पशुओं के आहार में सन्तुलन के लिए अजोला घास , गेहू की चोकर एवं जौ की मात्रा बढा देनी चाहिये ।

नगर निगम जोधपुर द्वारा जारी मौसम संबंधी टेम्परेचर आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार इस साल गर्मी के मौसम में दैनिक अधिकतम , न्यूनतम तापमान और हीटवेव की अवधि सामान्य से अधिक रहने वाली है । अतः उपरोक्त एडवाईजरी का प्रचार प्रसार अधिक से अधिक किया जावे ताकि पशुपालकों एवं गौशाला प्रबंधकों को जानकारी प्राप्त हो सके ।

(डा. अरविन्द कुमार पंवार)
संयुक्त निदेशक
पशुपालन विभाग जोधपुर

कमांकः (367—368) तकनीकी/2025—26/4134-47 दिनांकः— 08—04—2025

प्रतिलिपि :

1— श्रीमान निदेशक महोदय पशुपालन विभाग राज. जयपुर ।
2— श्रीमान निदेशक गौपालन राज. जयपुर ।
3— श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जोधपुर/ फलोदी ।
4— श्रीमान उप महानिरीक्षक, पुलिस जोधपुर ।
5— श्रीमान आयुक्त नगर निगम जोधपुर उत्तर/दक्षिण
6— श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर ।
7— श्रीमान अतिरिक्त निदेशक क्षेत्र पशुपालन विभाग जोधपुर ।
8— श्रीमान जनसम्पर्क अधिकारी जोधपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त एडवाईजरी का अधिक से अधिक प्रचार—प्रसार किये जाने हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशन कराने की व्यवस्था करावें ।
9— समस्त संस्था प्रभारी पशुपालन विभाग जोधपुर / फलोदी ।
10— समस्त गौशाला प्रबंधक जिला जोधपुर /फलोदी ।

संयुक्त निदेशक
पशुपालन विभाग जोधपुर

Signature valid
Digitally signed by Arvind Kumar Panwar
Designation : Joint Director
Date: 2025.04.08 17:43:40 IST
Reason: Approved